

(ग) उच्चस्तरीय कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सविस्तार परीक्षण किए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 234 सेंटीमीटर टेलीस्कोप के शीशे पर झालेप करने का चैम्बर अगले वर्ष तैयार हो जाएगा।

Financial allocation for Kahalgaon Super Thermal Power Project

4503. SHRI D. P. YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Minister of Finance has announced in a public meeting in Bhagalpur that Kahalgaon Super Thermal Power Project has been cleared by the Investment Committee of the Cabinet and necessary financial allocation has been made for the construction of this power project ;

(b) whether he has further declared that the said project shall be completed by the end of the Sixth Plan period ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को प्याज का निर्यात करने के कोटे का आबंटन

4504. श्री राम प्यारे पनिका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को प्याज का निर्यात करने के लिए कोटा आबंटित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारपोरेशन कितना प्याज निर्यात करेगा और कोटा आबंटन करने की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फंडरेशन और गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को अपने स्टॉक में से क्रमशः 10,000 मी० टन और 5,000 मी० टन प्याज तक के सीधे निर्यात करने की अनुमति दी गई है। ये निर्यात नेफेड द्वारा समय-समय पर निर्धारित एम० ई० पी० के अधीन है।

11.58 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER INSURANCE ACT, L.I.C. ACT, ETC.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Insurance (Amendment) Rules, 1982 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 566 in Gazette of India dated the 26th June, 1982, under sub-section (3) of section 114 of the Insurance Act, 1938.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Notification mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Agents) Amendment Rules, 1982 (Hindi and